

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक D/5236 /

जबलपुर, दिनांक 22/10/2021

II-13-8/21

श्री रामकेश बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश खंडपीठ ग्वालियर को दिनांक 07.01.2021 से 15.01.2021 तक 9 दिन के स्वीकृत अवैतनिक अवकाश (LWP) को अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

सही / -

(प्रियदर्शन शर्मा)

रजिस्ट्रार (प्रशा.)


पृष्ठांकन क्रमांक D/5237 /

जबलपुर, दिनांक 22/10/2021

II-13-8/21

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ-ग्वालियर, नवीन उच्च न्यायालय भवन, सिटी सेंटर, ग्वालियर (म0प्र0) की ओर उनके ज्ञापन क्रमांक 3546/स्थापना ग्वालियर, दिनांक 22/09/2021 के संदर्भ में श्री रामकेश बघेल, कोर्ट अटेंडेन्ट का आवेदन पत्र संलग्न सहपत्र तथा अवकाश लेखा मूलतः वापस करते हुए अनुरोध है कि अवकाश लेखा में त्रुटिपूर्ण लेखांकन को सुधार करते हुए एवं प्राप्ति की अभिस्वीकृति इस रजिस्ट्री को भिजवाने का कष्ट करें।  
संलग्न :-उपरोक्तानुसार।
2. सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
3. असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
4. सहायक अवकाश, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(प्रियदर्शन शर्मा)  
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

\*\*\*\*\*